सतत् विकास लक्ष्यों पर संवेदीकरण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला

पाँचवी विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित मान. विधायकों हेतु

रिपोर्ट

2019

राज्य योजना आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	1
2	दीप प्रज्जवलन	1
3	अभिनंदन एवं प्रारंभिक उद्बोधन	2
4	मान. मंत्री महोदय का उद्बोधन	4
5	मान. मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन	5
6	सतत् विकास लक्ष्य एक विश्लेषण	8
7	सतत् विकास लक्ष्य एवं बच्चों का विकास	21
8	धन्यवाद ज्ञापन	23
	अनुलग्नक	

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा
पाँचवीं विधानसभा में प्रथम बार चुनकर आये मान. विधायकों हेतु

सतत् विकास लक्ष्यों पर संवेदीकरण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला

दिनांकः 07 फरवरी, 2019
स्थानः होटल बेबीलोन, इंटरनेशनल, वीआईपी रोड रायपुर

पृष्ठभूमि

पूरा विश्व, वंचित एवं विकास की धारा में पीछे रह गये वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिये चिंतित ह और उन्हें विकास की मुख्य धारा स जोड़ना चाहता है। इसी चिंता का मूर्त स्वरूप है पूर्व में MDG एवं अब SDG, वैश्विक स्तर पर विश्व के सभी देशों द्वारा मिलकर पहले सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals- MDGs) तय किये और 2015 में जब सहस्त्राब्दि लक्ष्य प्राप्ति की अवधि खत्म हो गई ओर विश्व के देश लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह गये तो विश्व समुदाय द्वारा सतत् विकास हेतु नये सिरे से लक्ष्य तय किये गये। लक्ष्यों को पूर्व की तुलना में विस्तार देते हुये इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। सतत् विकास के लक्ष्यों में कुछ ऐसे लक्ष्य भी रखे गये हैं जो सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में सम्मिलित नही थे।

अधिकारी/कर्मचारी सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन का कार्य करते है इसलिये उन्हें इन लक्ष्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यशालाओं, बैठकों इत्यादि के कारण होतो है, किन्तु नीति निर्धारक/ कानून निर्माता विधायकगणों को ऐसी जानकारी प्राप्त करने के अवसर सीमित होत है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ एवं भारतीय राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (National Foundation of India-NFI) की संयुक्त परियोजना, ''सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण/ प्रचार–प्रसार'' के अंतर्गत, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के संबंध में नीति निर्धारकों/कानून निर्माताओं से विचार साझा करने के उद्देश्य से दिनांक 07 फरवरी, 2019 को सतत् विकास लक्ष्यों पर संवेदीकरण एवं उन्मुखीकरण विषय पर पाँचवी विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित मान. विधायकों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दीप प्रज्ज्वलन

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंच पर आसीन माननीय मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव एवं अन्य अतिथियों श्री सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग, श्री राजेश तिवारी एवं श्री प्रदीप शर्मा, मान. मुख्यमंत्री के क्रमशः संसदीय तथा योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण

विकास सलाहकार, श्री अमिताभ बेहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑक्सफेम, इंडिया तथा श्री के. डी. मैटी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, यूनीसेफ, दिल्ली तथा श्री प्रशांत दास, राज्य प्रमुख, यूनीसेफ, छत्तीसगढ़ सहित दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।

अभिनंदन एवं प्रारंभिक उद्बोधन

श्री सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने कार्यशाला में उपस्थित मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री टी. एस. सिंह देव मान. मंत्री का पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं कार्यशाला में सहभागिता हेतु उपस्थित प्रथम बार निर्वाचित विधायकों एवं विशेष अतिथि श्री राजेश तिवारी, संसदीय सलाहकार, मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री प्रदीप शर्मा, योजना, नीति, कृषि एव ग्रामीण विकास सलाहकार, मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री अमिताभ बेहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑक्सफेम इंडिया, डॉ. के. डी. मैटी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, यूनीसेफ, नई दिल्ली का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

अपनी बात रखते हुये श्री सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा गया कि सतत् विकास लक्ष्य एक वैश्विक अवधारणा है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्यों तथा वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र दोनों में बड़ी समानता ह। पहली समानता यह है कि सतत् विकास लक्ष्यों एवं जन घोषणा पत्र दोनों का लक्ष्य सतत् विकास है। दूसरी समानता यह है कि सतत् विकास लक्ष्य निर्धारित करते समय एक नारा दिया गया था कि ''कोई भी पीछे ना छूटे'', जन घोषणा पत्र में भी वही दृष्टिकोण

परिलक्षित होता है कि ''विकास की धारा में कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूट''। दोनों को ही जन आकांक्षाओं पर आधारित, जन सामान्य के लिये, जन समुदाय के द्वारा बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने जब सतत् विकास के लक्ष्य निर्धारित किये थे तब उन्होंने पाँच P का सहारा लिया था। जन घोषणा पत्र में भी ये सभी P किसी न किसी रूप से शामिल ह। SDG में पहला P था People अर्थात जनता और जन घोषणा पत्र में भी व्यक्ति को प्रथम स्थान दिया गया है और व्यक्तियों के पास जाकर ही जन घोषणा पत्र को तैयार किया गया है तथा व्यक्ति के विकास की आकांक्षाओं को उसमें शामिल किया गया है। दूसरा P था Planet अर्थात ग्रह/पृथ्वी जन घोषणा पत्र में नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बारी के संरक्षण एवं विकास की बात की है जो सतत् विकास लक्ष्या की भांति पृथ्वी के सतत् अथवा दीर्घकालीन विकास के लिये ही है। छत्तीसगढ़ की यह विशेषता रही है कि यहाँ गांवों में आत्म–निर्भर अर्थव्यवस्था चलती थी इस प्रकार जन घोषणा पत्र का यह बिन्दु सतत् विकास लक्ष्यों में प्लैनेट के रूप में सम्मिलित है। तीसरा P है Peace अर्थात् शांति, प्रदेश के कुछ हिस्से वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित है वहां शांति के लिये मान. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक नई पहल की गई है। चौथा P है Prosperity अर्थात् समृद्धि, इसका तात्पर्य यह है कि समृद्धि सभी तक पहुंचनी चाहिये। इसी प्रकार जन घोषणा पत्र में जो योजनाएँ लाई गई है, वे भी सभी की समृद्धि की बात करती है। पाँचवा P है Partnership अर्थात भागीदारी। यह बहुत महत्वपूर्ण है जन घोषणा पत्र बनाते समय भी समुदाय को शामिल किया गया और अब जो योजनाएँ बनाई जा रही है उनमें भी समुदाय की सहभागिता ह। इस प्रकार सतत् विकास के लक्ष्यों की घोषणा करते समय जो पाँच P की बाते की गई थी वो जन घोषणा पत्र का भी मूल आधार है। आगे उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र का प्रत्येक बिन्दु सतत् विकास लक्ष्य के किस लक्ष्य को इंगित करता है, से संबंधित एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है काफी कुछ तैयार

कर लिया गया है, जिस मान. मुख्यमंत्री जी से साझा किया गया है। इस पूर्णतया तैयार कर मान. मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यशाला के उद्देश्य के संबंध में उन्होंने बताया कि मान. विधायकों के लिये आयोजित कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य मान. विधायकों से यह साझा किया जाना है कि, जन आकांक्षाओं को पूर्ति के लिये और उनके विकास के लिये प्रदेश में जो भी कार्य किये जा रहे है उनमें तथा वैश्विक तौर पर निर्धारित किये गये सतत् विकास लक्ष्यों में कितनी समानता है।

मान. मंत्री महोदय का उद्बोधन

कार्यशाला की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुये श्री टी. एस. सिंह देव, मान. मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा सूचित किया गया कि सरकार, योजना विभाग एवं राज्य योजना आयोग की सोच है कि मान. विधायकों को संवेदीकरण कार्यशाला तथा विभिन्न माध्यमो से जानकारी प्रदान की जाये जिससे कि वे राज्य के विकास में बेहतर ढंग से अपना योगदान दे सकें। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये सतत् विकास लक्ष्यों के संबंध में मान. विधायक गणों से विचार साझा करने के लिये आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

योजना विभाग के संबंध में विचार रखते हुये उन्होनें कहा कि यह सामने दिखने वाला विभाग नहीं है किन्तु इसकी जिम्मेदारी व्यापक है। इसके व्यापक उत्तरदायित्वों में से एक संसाधनों का संतुलित उपयोग है। योजनाओं का उचित क्रियान्वयन तथा तय किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति हो इसकी मॉनिटरिंग

करना भी योजना विभाग का उत्तरदायित्व है। विभागों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना, सुझाव देना तथा विभागों का क्षमता संवर्धन करना भी योजना विभाग तथा योजना आयोग का एक दायित्व है। आज की कार्यशाला इस दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। समय–समय पर आप सभी के संपर्क में हम रहेंगे तथा मिलजुलकर प्रदेश के लिये बेहतर नियोजित विकास की संभावनाओं का आपके सामने रखेंगे तथा शासन के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मान. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, आज शाम को ही उनके यहां गृह प्रवेश के कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के बावजूद कार्यशाला में आना इस बात का प्रमाणित करता है कि मान. मुख्यमंत्री जी योजना को कितना बल देते हैं और कितनी प्राथमिकता देते हैं। अंत में, मान. मंत्री महोदय द्वारा, कार्यशाला हेतु समय निकालने के लिये मान. विधायकों का धन्यवाद करते हुये अपनी बात समाप्त की।

मान. मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन

आदरणीय भूपेश बघेल, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ने संवेदीकरण कार्यशाला में आये आंगतुकों का धन्यवाद करते हुये कहा कि सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य और कुछ भी नहीं सभी व्यक्तियों का कल्याण है। यह लक्ष्य बताते है कि हमें विकास के साथ–साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। यदि संतुलन बिगड़ा तो उसका नुकसान सभी का उठाना पड़ेगा। इसलिये विकास के साथ–साथ पर्यावरण का संतुलन आवश्यक है।

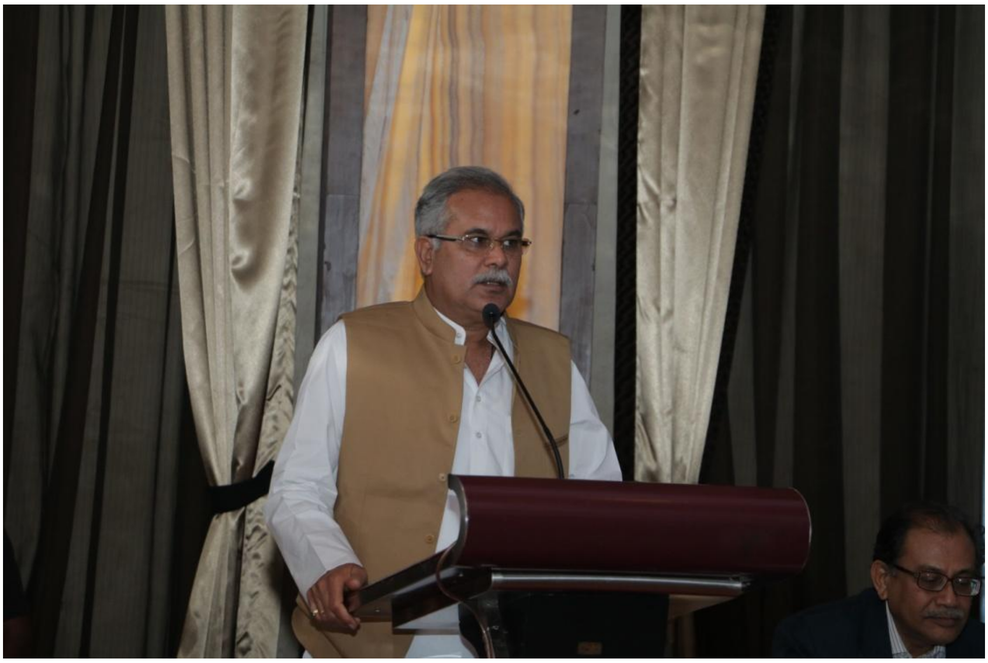

मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने जन घोषणा पत्र, जिसे बनाने में श्री टी. एस. सिंहदेव तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तथा वर्तमान में मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, का महत्वपूर्ण योगदान है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिये छत्तीस लक्ष्य दिये ह। हमे इन छत्तीस लक्ष्यों का प्राप्त करना है। श्री सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ द्वारा विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार से जन

घोषणा पत्र के बिंदुओं तथा सतत् विकास लक्ष्यों में समानता है। इन छत्तीस बिन्दुओं में बच्चे अर्थात व्यक्ति के जन्म से लेकर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा एवं रोजगार कल्याण, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांग कल्याण आदि सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा और उन्हें छत्तीस बिन्दुओं में समेटन की कोशिश की गई है। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने एक नारा दिया है ***''छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारीं, नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी ऐला बचाना हे संगवारी'',*** इसी दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुये बताया कि छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन के समय हमारी सरकार थी तब हमने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किये थे। उस समय जो आंकड़े, जानकारी एकत्र की गई, उसका इन 16—17 वर्षों में उपयोग नही किया गया। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जंहा जी आई एस मैप्स के माध्यम से भू—गर्भीय जल प्रवाह की जानकारी तैयार की गई है। हम भू—गर्भ जल पुनर्भरण (Water recharging) के क्षेत्र में इसका उपयोग करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल की कभी कम नही होगी। छत्तीसगढ़ में काफी वर्षा होती है परंतु सारा जल बह जाता है, उसे रोकने के लिये हमारे पास कोई विशेष योजना नही है। हमने संरचना तैयार की भी है तो केवल सतही जल रोकने के प्रयास हैं चाहे हम बांध बनायें, स्टाप डेम बनायें चाहे डायवर्सन करें, किन्तु वैज्ञानिक तरीके से उसमे काम नही हुआ है। इसी पर कार्य करने हेतु हमने नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना प्रारंभ की है।

योजना के अंतर्गत नदी नाले जहां से भी प्रारंभ होते हैं वहीं से जहां—जहां पानी रोके जाने की स्थलाकृतियाँ है वहां पानी रोकने हेतु संरचना का निर्माण किया जायेगा। इससे जल पुनर्भरण होगा और भू—गर्भ जल की कमी नही होगी। हमारे प्रदेश में एक और समस्या है भूमि क्षरण की विशेष रूप से अमरकंटक में मरवाही के आसपास तथा कोरिया में कुछ जगहों में। इन संरचनाओं के निर्माण से भूमि

क्षरण की समस्या भी हल होगी। गरूवा से तात्पर्य मवेशी, छत्तीसगढ़ मे ही नही पूरे देश में बोझ बनते जा रहे हैं। खुले मवेशियों से गांवों एवं शहरों दोनो जगह समस्या है। गांवों में खुले मवेशी फसल खराब करते हैं और शहरों में सड़कों पर घूमते मवेशियों से यातायात में बाधा आती है और मवेशियों तथा धन जन की हानि हाती है। इस योजना के माध्यम से हम इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगें। कालान्तार से गाय हमारी ताकत रही है अब वह हमारी कमजोरी बन गई है, हम गाय को फिर से ताकत बनाना चाहते है। योजना के अंतर्गत हमने पूरे छत्तीसगढ़ के 20,000 गांवों में गोठान की जगह को लगभग चिन्हांकित कर लिया है। चारागाह की जमीन का भी चिन्हांकन कर लिया गया है। सभी संबंधित विभाग जैसे पंचायत, कृषि, पशुपालन, जल संसाधन एवं वन को जोड़कर काम कर रहे हैं, जिससे पशुओं के लिये चारे, पानी एवं नस्ल सुधार सभी की व्यवस्था हो। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया का लाभकर बनाना है। इसलिये जहाँ गोठान है वहीं गोबर गैस संयंत्र लगाया जायेगा। संयत्र के साथ कंपोस्ट एवं वर्मी खाद तैयार करने की इकाई भी लगाई जायेगी। यह इसलिये कि जो भी व्यवस्था स्थापित की जाये उसमें सरकार एक बार पैसा लगाये उसके बाद वह इकाइ आत्मनिर्भर हो जाये। इस योजना के कई लाभ होंगे। ग्रामीणों को भोजन पकान के लिये सस्ती दर पर गोबर गैस प्राप्त होगी, इससे रोजगार का सृजन होगा और तीसरे कपोस्ट वर्मी खाद के बनने से भूमि की उर्वरता बढ़ेगी तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और बीमारियां भी कम हागी। प्रदेश में, वर्तमान में अधिकांशतः एक फसल का उत्पादन होता है यदि दूसरी फसल लेनो है तो फेन्सिंग करनी होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से किसान पशुओं से बिना डर भय के दूसरी फसल ले सकेग। फसल काटने क बाद बचा हुआ पैरा जा किसानों के द्वारा जलाया जाता है उसको इकठ्ठा कर पशुओं के चारा के रूप में उपयोग किया जायोगा। इस प्रकार योजना से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। उन्होंने बताया कि नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना पर तेजी से काम चल रहा है आगामी 4–5 माह में इसका लाभ/फल दिखने लगेगा।

सतत् विकास लक्ष्यों के **'विजन डाक्यूमेन्ट 2030'** पर अपनी बात रखते हुये उन्होंने कहा कि पूर्व में तैयार किये विजन डाक्यूमेन्ट, जो किन्हीं कारणों से पारित नहीं हुआ था, में वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण के प्रकाश में संशोधन कर संशोधित दस्तावेज तयार किया जायेगा। आगे उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु राज्य योजना आयोग में एक विशेष SDGs सेल का गठन किया गया है। SDG सेल के विशेषज्ञों के माध्यमों से राज्य योजना आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। आयोजन के सफलता की शुभकामनाएं देते हुये अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ एवं मान. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपना उद्बोधन समाप्त किया गया।

सतत् विकास लक्ष्य– एक विश्लेषण

सतत् विकास लक्ष्यों पर अपनी बात प्रारंभ करते हुये श्री अमिताभ बेहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में विश्व के 193 देशों द्वारा 25 सितम्बर, 2015 को समस्त विश्व के विकास हेतु सतत् विकास के 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

सतत् विकास लक्ष्यों के दस्तावेज का प्रथम पृष्ठ देखे तो जैसे हमारे देश का संविधान "We the People" लोगों की बात करता है उसी प्रकार सतत् विकास के लक्ष्यों की प्रस्तावना भी "We the People" से प्रारंभ होती है और हम सब लागों की बात करती है। हम अपने देश के नागरिक होने के साथ–साथ वैश्विक नागरिक भी होते है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह लक्ष्य हमारे लिये और हमारे लिये ही तय किये गये है।

उन्होने बताया कि सतत् विकास लक्ष्य तथा इसकी राह तैयार करने वाले सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millenium Development Goals-MDGs) की पृष्ठभूमि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत 90 के दशक से प्रारंभ होती है। 20 वीं शताब्दी के 80 के दशक में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी 21वीं सदी की बात किया करते थे। 21 वीं सदी का भारत कैसा होना चाहिये उनकी अपनी एक सोच थी उनका एक सपना था उसी प्रकार उस समय 90 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक पहल की गई जो आज के सतत् विकास लक्ष्यों का आधार बनी। वर्ष 2015 में तय किये गये सतत् विकास के लक्ष्य उस 21वीं सदी के सपने को ठोस स्वरूप प्रदान करते है। उन्होंने कहा कि हम राजीव गांधी जी के 21वीं सदी के सपने को देखना चाहतें है तो हमें सतत् विकास लक्ष्यों को बहुत ईमानदारी से पकड़ना होगा।

सतत् विकास लक्ष्यों की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुये उन्हाने बताया कि नब्बे के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी गोष्ठियाँ हुई, वे केवल गोष्ठियाँ ही नहीं थी उन गोष्ठियों के आधार पर कई अहम निर्णय लिये गये, जिन्होने वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की नीतियों एवं कानूनों को बदला है अथवा प्रभावित किया है। इन्हीं में से एक सम्मेलन अर्थ समिट (Earth Summit) के नाम स वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डि जेनेरो में हुआ था। इस सम्मेलन के बाद दुनिया भर के देशो के पर्यावरण

कानूनों और नियमों में परिवर्तन आया। आज हम पर्यावरणीय कानूनों का जो स्वरूप देखते है वह इसी सम्मेलन का परिणाम है। इसके पश्चात् वर्ष 1994 में कायरो (Cairo) में जनसंख्या एवं विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श हुआ। इसी प्रकार वर्ष 1995 में बोजिंग, चीन में महिलाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आज महिला हिंसा पर विश्व भर में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, जितने कानून दिखते है वे इस बीजिंग सम्मेलन का ही परिणाम है।

इन सम्मेलनों के पश्चात् वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millenium Development Goals-MDGs) की घोषणा की इन घोषणाओं का सारांश था कि हम विश्व में ऐसे समाज की स्थापना करनो है जहां 'भय' एवं 'जरूरतों' से मुक्ति हो। उन्होंने सुझाव दिया कि यह सहस्त्राब्दि घोषणा पत्र सभी को पढ़ना चाहिये। आगे उन्होने कहा कि, जैसे पूर्व वक्ताओं द्वारा भी बताया गया है, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों तथा वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र में बहुत समानता है। उन्होने बताया कि वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की घोषणा के बाद विश्व के बड़े–बड़े सभी देशों, जिनमें भारत, चीन आदि भी शामिल है ने अपनी योजनाओं और नीतियों को इन लक्ष्यों के करीब लाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इन लक्ष्यों की आलोचना भी की जातो थी कि ये सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (Millenium Development Goal-MDG) न होकर न्यूनतम विकास लक्ष्य (Minimum Development Goals-MDGs) है।

आगे उन्होंने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) की, वर्ष 2013 में जारी रिपोर्ट के आधार पर, भारत में इनकी प्राप्ति का विश्लेषण करते हुये बताया कि देश में गरीबी तथा मातृत्व मुत्यु दर एवं शिशु मुत्यु दर में कमी आई तथा प्राथमिक शाला के स्तर पर लैंगिक समानता (Gender parity) भी ठीक रही, घातक

बीमारियों को कम करने में सफल रहे किन्तु कुछ लक्ष्य ऐसे भी थे जैसे शिशु मृत्यु दर (IMR) तथा महिला सशक्तिकरण एवं पर्याप्त स्वच्छता के क्षेत्र में हम पीछे रहे। राष्ट्रीय स्तर पर यह दावा किया जाता है कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया है किन्तु राज्यों के स्तर पर देखें तो छत्तीसगढ़ में हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह गये हैं। वैश्विक स्तर पर भी यही स्थिति रही। इसलिये नये सिरे से लक्ष्य तय किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विश्व भर में लोगों से सुझाव प्राप्त किये गये कि अगले 100 सालों में आप विश्व को कैसा देखना चाहते हैं, जिसके आधार पर अगले 15 सालों के लिये लक्ष्य तय किये जायेंगे। भारत में भी लोगों से परामर्श किया गया और वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की घोषणा की गई।

सतत् विकास लक्ष्यों की विशेषताओं पर चर्चा करते हुये उन्होंने बताया कि विश्व में पहली बार ये लक्ष्य सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक क्षेत्रों को लेकर तैयार किये गये है। इसके पहले सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में केवल सामाजिक लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया था। सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 17 गोल एवं 169 टारगेट निश्चित किये गये हैं, जिनकी प्राप्ति पर हमें कार्य करना है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चार लक्ष्य है जिन पर ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

पहला है गोल नं. –5 लैंगिक समानताः– उन्होने बताया कि यह पहली बार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरा लक्ष्य लैंगिक समानता पर रखा गया है। पहले लैंगिक समानता पर चर्चा होती थी किन्तु वह प्रमुख लक्ष्य के अंतर्गत होती थी इस बार इसे प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।

दूसरा है गोल नं.–10 असमानता को समाप्त करनाः– इसमें देशों के बीच तथा देशों के अंदर की असमानता को समाप्त किया जाना है।

तीसरा है गोल नं.–12 पर्यावरण को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से सतत् उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करनाः– पर्यावरण को सुरक्षित करने की दृष्टि से पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पद्धति अपनाने पर चर्चा पहले भी होती रही है पर पर्यावरण अनुकल उपभोग पैटर्न पर चर्चा पहली बार सतत् विकास लक्ष्यों में हुई है।

चौथा है, गोल नं.–16 शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देनाः– सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। सभी के कल्याण के लिये शासन एवं न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं को मजबूत करना होगा।

इनके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में तीन और बातों पर पृथक स चर्चा किये जाने की आवश्यकता हैः–

पहली **'कोई पीछे न छूटे'** दूसरी लक्ष्यों को विसमूहन (Disagregate) कर भी देखना होगा। उदाहरण के लिये महिला सशक्तीकरण पर वर्ग एवं क्षेत्र अनुसार स्थितियाँ अलग–अलग हैं। सामान्य महिला एवं आदिवासी महिला में 25 प्रतिशत का अंतर है वहीं बस्तर की आदिवासी महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 25 है अर्थात् अंतर बढ़कर 40–45 प्रतिशत के आस–पास हो जाता है। इस प्रकार इन अंतरों को जानकर ही सतत् विकास लक्ष्यों के कियान्वयन पर बेहतर कार्यवाही की जा सकती है। तीसरे, पहली बार लक्ष्यों को मानवीय अधिकारों के रूप में देखा गया है। इस पूरी प्रकिया का यह लक्ष्य है कि, जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास का अधिकार मिले।

अपनी चर्चा जारी रखते हुये आगे उन्होंने बताया कि इतने सारे सकारात्मक बिन्दुओं के साथ–साथ लक्ष्यों में कुछ कमियाँ भी है। छत्तीसगढ़ में इन कमियों को दूर कर दिया जाये तो विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ का नाम लाया जा सकता है। पहलो कमी यह परिलक्षित होती है कि, इन लक्ष्यों के पीछे सोच गरीबी हटाने की है, जबकि लक्ष्य सभी को न्याय मिल और गरिमा से जीवन जोने का अधिकार मिले यह होना चाहिये। लक्ष्यों में यह बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। दूसरा सतत् विकास लक्ष्यों की पूरी प्रकिया में समीक्षा एवं निगरानी का तरीका नहीं सुझाया गया है। देशों के द्वारा प्रतिवर्ष केवल एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ को स्पष्ट रूप से विकास के क्षेत्र तय करने चाहिये और उनमें प्राप्त उपलब्धियों को अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित करना चाहिये। तीसरे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी किन्तु अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज में वित्तीय प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं है। हर लक्ष्य में चर्चा अवश्य की गई है किन्तु ठोस सुझाव नहीं दिया गया है कि इनको प्राप्त करने में कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी और उसको उपलब्ध कराने की जिम्मदारी किसकी होगी। संघीय ढाँचें में इस बिन्दु पर केन्द्र एवं राज्य के स्तर पर चर्चा होनी चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होनी चाहिये। दस्तावेज में स्पष्ट लिखा गया

है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी विकासशील देशों के साथ–साथ विकसित देशों की भी है।

इसके पश्चात् श्री बेहार जी ने सतत् विकास के 17 लक्ष्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि गोल एक से लेकर छः तक सामाजिक लक्ष्य है। गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैगिंक समानता तथा जल एवं स्वच्छता ये लक्ष्य है। गोल 7 से लेकर 11 तक आर्थिक विकास संबंधी लक्ष्य है। इसमें ऊर्जा, आर्थिक विकास लोगों के रोजगार को सम्मिलित किया गया है। तीसरा हिस्सा गोल 12 से लेकर गोल 17 तक पर्यावरण से संबंधित लक्ष्यां का है। गोल 14 छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है क्योंकि यह समुद्रों एवं समुद्रीय संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी सभी लक्ष्य छत्तीसगढ़ के लिये महत्वपूर्ण हैं। इसमे गोल नं. 16 आधारभूत लक्ष्य है जो शासन (Governance) से संबंधित है, यदि शासन को मजबूत नहीं किया जायेगा तो ऊपर के 15 लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जाना संभव नहीं होगा। गोल नं. 17 हम बताता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह लक्ष्य यह भी बताता है कि हमें बहुत सी तकनीकों की भी आवश्यकता होगी, यदि इन सब परिवर्तनों को हम प्राप्त करना चाहते है।

सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी की चर्चा करते हुये उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई है। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले यह जिम्मेदारी राज्य योजना आयोग को सौंप दी गई है। मान. मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के लिये हर्ष व्यक्त करते हुये कहा कि यह बहुत अच्छा है कि छत्तीसगढ़ में राज्य योजना आयोग के अंतर्गत SDG सेल की कल्पना कर ली गई है और उसे स्थापित किया जा रहा है।

क्रियान्वयन की चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि लाईन विभागों को सतत् विकास लक्ष्यों में दिलचस्पी नहीं है। साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर तय नहीं हो पाई है। उन्होने उपस्थित मान. विधायकों से आग्रह किया कि वे आगे आये और इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी ले। अंतिम, लक्ष्यों के क्रियान्वयन की चर्चा नीतिगत स्तर पर तो होती है, परंतु ये चर्चायें धरातल पर नहीं आ पाती है।

इसके पश्चात् श्री बेहार जी ने सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में क्या किया जा सकता है, के संदर्भ में सुझाव दियेः–

पहलाः क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर ले जाना होगा और इसके लिये जन आंदोलन की आवश्यकता होगी। उन्होने कहा कि जन घोषणा पत्र तथा सतत् विकास लक्ष्यों में समानता को देखते हुये यह कार्य छत्तीसगढ़ में आसानी से किया जा सकता है।

दूसराः राज्य की नीतियाँ तथा योजनाएँ एवं कार्यक्रम सतत् विकास लक्ष्यों के साथ जोड़े जाये।

तीसरेः सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का ढांचा तैयार किया जाना चाहिये।

चौथाः लक्ष्यों के क्रियान्वयन की स्पष्ट कार्ययोजना बने और कार्ययोजना बजट में भी परिलक्षित हो।

पाँचवाः सतत् विकास लक्ष्यों के संपूर्ण क्रियान्वयन तंत्र का क्षमता संवर्धन करना।

इसके बाद अंत में उन्होंने ऐसे सुझाव दिये जिनके आधार पर लक्ष्यों क क्रियान्वयन को मूर्त स्वरूप दिया जा सकता हैः–

1. प्रारंभिक रूप से पूरे प्रदेश में केवल 100 ग्राम पंचायत चिन्हाकित कर उन ग्राम पंचायतों में समस्त सतत् विकास लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाये।
2. छत्तीसगढ़, जैसे कि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, आदिवासियों को कन्द्र में रखकर कहे कि ''कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छुटेगा''। राज्य कोई भी रणनीति, नीति, योजना अथवा कार्यक्रम बनाये तो उसमें यह सुनिश्चित करे कि उस योजना कार्यक्रम से कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा।
3. लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिये राज्य योजना आयोग में सेल का गठन कर लिया गया है, अच्छी बात है किन्तु केवल राज्य योजना आयोग में SDG सेल के गठन से काम नहीं होगा इसमें लाईन विभागों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये।
4. यह सुनिश्चित किया जावे कि छत्तीसगढ़ भेदभाव से मुक्त पहला राज्य बने।

उन्होंने सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव देकर अपनी प्रस्तुति का समापन किया। लक्ष्यवार सुझावों का विवरण निम्नानुसार हैः–

लक्ष्य–1

गरीबी उन्मूलन

- सीमांत और छोटे किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिये। पद्धति पर्यावरण समर्थित हो।

- महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता देना
- प्रदेश के तकनीकी मानव संसाधन की जरूरतों का आंकलन युवाओं, विशेषरूप से अदिवासी एवं दलित के क्षमता निर्माण हेतु अवसरों का सृजन

लक्ष्य 2

भूख का अंत तथा खाद्यान एवं पोषण सुरक्षा

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विशेष रूप से आदिवासी और दलित क्षेत्रों में सुदृढ़ किया जाना
- उचित मूल्य की दुकानों का प्रतिदिन खुलना, घर पहुंच सेवा
- मध्यान्ह् भोजन (Mid Day Meal-MDM) एवं एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme-ICDS) अंतर्गत पोषण आहार को अधिक व्यवस्थित एवं पौष्टिक बनाना– चना, अंडे, तेल इत्यादि का प्रावधान
- कृषि में फसलों की स्थानीय किस्मों एवं मोटे अनाजो (Millets) को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विविधता प्रदान करने के लिये शासकीय उपार्जन में इनको सम्मिलित करना। उपार्जन पद्धति, विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में सुधार करना।

लक्ष्य 3

स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती

- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक क्रियाशील बनाना– अच्छी सेवाओं की निरंतरता के लिये एक निगरानी पद्धति का विकास करना, जिसमें समुदाय से लोगों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये।

- राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर आवश्यक दवाओं की पूरी रेंज की आपूर्ति के लिए निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित करने वाली नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर रोक, तत्काल सार्वजनिक अस्पतालों को निजी हाथों में देने से रोकना।

लक्ष्य 4

गुणवत्ता शिक्षा

- स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया को रोकना, बंद किये हुये स्कूलों को पुनः खोलने पर विचार करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी स्कूल शिक्षा का अधिकार (RTE) मानदंडों का पालन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें।

लक्ष्य 5

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण

- वर्तमान राज्य महिला नीति (2004) की समीक्षा और एक संशोधित राज्य महिला नीति तैयार की जाये।
- पुलिस मुख्यालय में महिला सहायता सेल की स्थापना
- हिंसा मुक्त ग्राम बनाने के लिए प्रयास किया जाना।

लक्ष्य 6

सभी के लिये जल एवं स्वच्छता

- जल संरचनाओं का संरक्षण एवं सामुदायिक नियंत्रण–जल उपभोक्ता संगठनों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।

लक्ष्य 7

सभी के लिए सतत् दीर्घ कालीन ऊर्जा

- सौर सुजला योजना में सीमांत एवं लघु कृषक प्रथम प्राथमिकता होने चाहिये।
- शहरी क्षेत्रों की संरचनाओं (बड़े संस्थागत भवन) को अधिक से अधिक सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाना चाहिये।
- सभी जिलों का ऊर्जा अंकेक्षण (Energy Audit), जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाये–संभवतः तीन साल में एक बार किया जाना चाहिये।
- आजीविका बढ़ाने के लिये ऊर्जा के एक प्रमुख स्त्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना चाहिये।

लक्ष्य 8

आर्थिक प्रगति– सभी के लिये समुचित/सम्मानीय रोजगार

- आजीविका के पारंपरिक रूपों को सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित करना
- महिलाओं के रोजगार और मजदूरी के लिए पर्यावरण को अनुकूल एवं सक्षम बनाना (महिला तस्करी एवं बंधुआ श्रमिक)

लक्ष्य 9

उद्योग और नवप्रवर्तन

- प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन और परिस्थितिक संतुलन के लिए व्यावसायिक घरानों को जवाबदेह बनाना।
- सरकार के कार्यक्रम उत्पादक परिसंपत्तियों को विकसित करने पर केन्द्रित हो, जो लंबे समय तक चलने वाली हो (एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में MGNREGA)
- तकनीकी मानव संसाधन की आवश्यकता का आंकलन और तदनुसार युवाओं के लिए क्षमता निर्माण के अवसर

लक्ष्य 10

समानता

- शिक्षा और स्वास्थ्य पर मिशन मोड में काम करना, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में
- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना केन्द्रित विकास हो, जो कि आवश्यक मानव संसाधन द्वारा समर्थित हो।

लक्ष्य 11

दीर्घकालीन एवं सुरक्षित शहर

- सतत् और सुरक्षित स्मार्ट शहरों की अवधारणा पर ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य पहलुओं आदि के बिन्दुओं के आधार पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है।
- सभी शहरों में सुरक्षा अकेक्षण और तद्नुसार सुधार के उपाय करना

लक्ष्य 12

उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन

- फसल और उपभोग पद्धति में स्थानीय विविधता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- छोटे फरीवालों और विक्रेताओं के लिये शहरों को अधिक अनुकूल बनाना

लक्ष्य 13

जलवायु परिवर्तन

- छत्तीसगढ़ विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक हरियाली वाली जगह बनाने का काम मिशन मोड पर करना

- सूखे की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देने के लिये कृषि भूमि पर जन पुनर्भरण की संरचनाओं को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 15

जीवन एवं भूमि

- छत्तीसगढ़ की समृद्ध जैव–विविधता की रक्षा के लिये पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना
- जंगल के भीतर प्रत्येक जल सरंचना को चिह्नित और संरक्षित करना
- छत्तीसगढ़ को अपनी नदियों के संरक्षण और पुनःपूर्ति में उदाहरण स्थापित करना चाहिए

लक्ष्य 16

शांति, न्याय– मानवाधिकार

- ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना जहां हर नागरिक विशेषकर अल्पसंख्यकों का गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन हो
- न्याय प्रणाली को और अधिक आसानी से पहुंच योग्य/सुलभ बनाना, विलंबित न्याय पर अंकुश लगाना
- शासन की संस्थाएँ लोगों, विशेष रूप से मुख्यधारा से दूर हुये लोगों तक सक्रिय दृष्टिकोण और पहुंच बनायें।

लक्ष्य 17

साझेदारी और कियान्वयन के साधन

- खुले और अनुकूल वातावरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र निकायों को आमंत्रित करना।

- नागरिक सामाजिक संगठनों के लिये स्थान बनाना तथा मानव अधिकार रक्षकों एवं पत्रकारों का संरक्षण

सतत् विकास लक्ष्य एवं बच्चों का विकास

श्री के. डी. मैटी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, यूनीसेफ, नई दिल्ली द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। उनका प्रस्तुतीकरण सतत् विकास लक्ष्यों के ढाँचे के अंतर्गत बच्चों के लिये क्या किया जाना है अथवा क्या किया जा सकता है पर केन्द्रित रहा। उन्होने अपना प्रस्तुतीकरण प्रारंभ करते हुये बताया कि सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) तथा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDG) के बीच मूल अंतर यह है कि सतत् विकास लक्ष्य वैश्विक स्तर पर व्यापक परामर्श एवं सामुदायिक भागीदारी से तय किये गये है जबकि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में यह कमी थी। सतत् विकास लक्ष्यों के साथ एक और विशेष बात है कि ये सभी लक्ष्य अंतसबंधित है। यदि एक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अन्य 16 लक्ष्यों पर भी ध्यान देना होगा।

उन्होंने बताया कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में बच्चों से संबंधित सम्मिलित लक्ष्यों यथा बच्चों की जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और उसमें लिंगभेद आदि अभी भी प्रचलित हैं अर्थात् इन लक्ष्यों को अभी भी नहीं प्राप्त किया जा सका है। शिशु मृत्यु दर में लिंग भेद से तात्पर्य है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिशु मृत्यु दर भारत में अधिक है, जबकि ऐसा माना जाता है कि लड़कों की तुलना में लडकियाँ ज्यादा तंदुरूस्त होती हैं। इस क्षेत्र पर कार्य करने एवं ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार बाल विवाह अभी भी देश की बड़ी समस्या है, जो कि लड़कियो के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। बाल श्रमिक, यौन शोषण एवं और भी बहुत सारे बच्चों से संबंधित मुद्दे है जिनसे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इन्हें हमे सतत् विकास लक्ष्यों के बड़े ढांचे में लाना और प्राप्त करना होगा।

प्रस्तुतीकरण के लक्ष्यों को बताते हुये उन्होने कहा कि प्रस्तुतीकरण का पहला उद्देश्य यह है कि इस बात पर चर्चा करना कि बच्चों पर केन्दित SDG एजेण्डा है कि नहीं यदि है तो यह क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर चर्चा करना। तीसरे, आज असमानता तथा वंचित होने की क्या स्थिति है। अंतिम किन्तु कम नहीं, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में क्या भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करना। उन्होने बताया कि सतत् विकास लक्ष्य लोगों के लिये लोगों के द्वारा ही बनाये गये है। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़े है अतः इस मूल भावना के अनुरूप ही इनका क्रियान्वयन किया जाना होगा।

श्री के. डी. मैटो ने यह बताया कि सतत् विकास लक्ष्य बच्चों पर केंद्रित क्यों है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य एजेंडा भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है उन्होंने स्पष्ट किया कि आज का बच्चा कल का युवा होगा। 2016 में 5 वर्ष का बालक 2030 में एक युवा होगा, अतः यदि हम बच्चों पर निवेश करते हैं तो हम देश के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों और युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण ह। राष्ट्रीय विकास में योगदान करने में सक्षम होने के लिए अच्छा भोजन, अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास और बाहर स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण, उत्पादक और गरिमापूर्ण रोजगार तक बच्चों की पहुंच आवश्यक है। बच्चे ही भविष्य की श्रमशक्ति हैं, आविष्कारक हैं, उपभोक्ता और अभिभावक हैं, दुनिया के नेतृत्वकर्ता हैं इसलिए उन्हें न केवल अवसरों का दोहन करने के लिए बल्कि अपार चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह सुसज्जित होना चाहिए। उन्होने बताया कि सतत विकास लक्ष्य के प्रमुख लक्ष्य जैसे 1,2,3,5,6,10,11,13 बच्चों के उत्तरजीविता से 1,2,3,4,5,6,10,11,13,16 बच्चों की देखभाल से, लक्ष्य 1,4,8,10,11 विस्थापित परिवारों के बच्चों से और लक्ष्य 1,4,5,8,13,10,16 बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है।

उन्होंने भारत की वर्तमान स्थिति के संबंध में बताया कि भारत में प्रत्येक 3 में से 1 बच्चा गरीबी में जीवनयापन कर रहा है, संस्थागत प्रसव बढ़ा है किंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में प्रसव कराया जा रहा है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान का जोखिम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में बालिकाओं की मृत्यु दर बालकों से ज्यादा ह । कुछ राज्यों में शाला त्याग की दर उच्च है और इसका प्रमुख कारण गरीबी है। बालिकाओं को प्रगतिशील और आत्मनिर्भर होना होगा लेकिन बाल विवाह उनके विकास के रास्ते में आ रहा है यह गरीब परिवारों और कुछ राज्यों में अधिक प्रचलित है। उन्होंने बताया कि दुनिया के नवजात मृत्यु दर में भारत की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत है, शिशु मृत्यु दर में 17 प्रतिशत और बाल कुपोषण में भारत की हिस्सेदारी 43.8 प्रतिशत है।

उन्होने जोर दिया कि सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और क्रियान्वयन में समस्त विभागों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप जनसमूह को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं इसलिए आप सतत विकास लक्ष्यों के संदेशवाहक, पर्यवेक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। इस आवह्‌ान के साथ उन्होने अपने प्रस्तुतीकरण को समाप्त किया।

धन्यवाद ज्ञापन

कार्यशाला के अंत में श्री सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कहा गया कि मान. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने व्यस्ततम समय में से आज की कार्यशाला के लिये समय निकाला गया, इसके लिये हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। श्री. टी. एस. सिंहदेव, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का आभार व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा एव नेतृत्व का परिणाम है कि हम पाँचवीं विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित होकर आये मान. विधायकगण हेतु इस कार्यशाला का आयोजन कर सके। हम उनक भी आभारी हैं। मान. विधायकगण को भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुये कहा कि उन्होंने रूचि लेकर कार्यशाला में भाग लिया, हम आशा करते हैं कि यह कार्यशाला उनके लिये उपयोगी होगी और भविष्य में भी हम उनके संपर्क में रहेंगे। श्री अमिताभ बेहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑक्सफेम इंडिया एवं डॉ. के. डी. मैटी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, यूनीसेफ के प्रति भी समय निकाल कर कार्यशाला में अपने विचार रखने के लिये श्री खेतान द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अनुलग्नक-1

कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के नाम

माननीय मंत्री एवं विधायकगण

1. आदरणीय, श्री भूपेश बघेल, अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
2. श्री टी. एस. सिंहदेव, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग
3. श्री राजेश तिवारी, मान. मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार,
4. श्री प्रदीप शर्मा, मान. मुख्यमंत्री के योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास सलाहकार,
5. श्री गुलाब सिंह कमरो, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र भरतपुर– सोनहट
6. डॉ. विनय जायसवाल, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र मनेन्द्रगढ़
7. श्रीमती अंबिका सिंहदेव, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर
8. श्री विनय भगत, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र जशपुर
9. श्री यू. डी. मिंज, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी
10. श्री चक्रधर सिंह सिदार, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा
11. श्रीमती उत्तरी जांगड़े, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़
12. श्री पुरूषोत्तम कंवर, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र कटघोरा
13. श्री मोहित राम केरकेट्टा, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र पाली तानाखार
14. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र तखतपुर
15. श्री शैलेष पाण्डेय, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर
16. श्री रजनीश कुमार सिंह, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र बेलतरा
17. श्री किस्मत लाल नंद, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र सराईपाली
18. श्री द्वारिकाधीश यादव, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र खल्लारी
19. श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र महासमुंद
20. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़
21. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र सिहावा
22. श्री कुंवर सिंह निषाद, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही
23. श्री आशीष कमार छाबड़ा, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा
24. श्री गुरूदयाल सिंह बंजार, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र नवागढ़
25. श्रीमती ममता चन्द्रकार, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र पंडरिया

26. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़
27. श्री अनूप नाग, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़
28. श्री शिशुपाल सोरी, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र कांकेर
29. श्री चंदन कश्यप, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर
30. श्री विक्रम शाह मंडावी, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र बीजापुर

स्त्रोत व्यक्ति

1. श्री अमिताभ बेहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑक्सफेम, इंडिया
2. डॉ. के. डी. मैटी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, यूनीसेफ, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारीगण

1. श्री सी. के. खैतान, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
2. श्री आशीष कुमार भट्ट, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
3. सुश्री, शिखा राजपूत तिवारी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
4. श्री मुदित कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़
5. डॉ. जे. एस. विरदी, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़,
6. डॉ. वत्सला मिश्रा, संयुक्त संचालक, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़
7. डॉ. डी. के. मस्ता, संयुक्त संचालक, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़
8. श्री आर. एस. साहू, संयुक्त संचालक (वित्त), राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़
9. श्री मुक्तेश्वर सिंह, सहायक संचालक, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़
10. सुश्री श्रेया शुक्ला, सलाहकार, सतत् विकास लक्ष्य, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

संयुक्त राष्ट्र संस्था के अधिकारी

1. श्री प्रशांत दास, यूनीसेफ, छत्तीसगढ़
2. श्री बाल परितोष दास, यूनीसेफ
3. डॉ. नविश, WHO
4. सुश्री, प्रोतु मिश्रा, पोषण अधिकारी, यूनीसेफ, रायपुर
5. श्री शेषगिरी के. एम. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ

...

अनुलग्नक-1I

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

सतत् विकास लक्ष्यों पर संवेदीकरण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला

दिनांकः 07 फरवरी, 2019

बैठक स्थलः होटल बेबीलोन, इंटरनेशनल, वीआईपी रोड रायपुर

एजेण्डा

समय	विवरण
06:00-06:05	: **दीप प्रज्जवलन**
06:05-06:10	: **श्री सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा** *प्रारंभिक उद्बोधन*
06:10-06:20	: **श्री टी. एस. सिंह देव, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग** *सतत् विकास लक्ष्य एवं कार्यशाला की पृष्ठभूमि*
06:20-06:30	: **अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग एवं मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन का उद्बोधन**
06:30-7:15	: **श्री अमिताभ बेहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑक्सफेम इंडिया** *नियोजन प्रक्रिया में सतत् विकास लक्ष्य की भूमिका एवं महत्व* *लक्ष्य 1: सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना* *लक्ष्य 2: भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा* *लक्ष्य 3: सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा* *लक्ष्य 4: सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण आजीवन शिक्षा–प्राप्ति के अवसर को बढ़ावा देना* *लक्ष्य 5: लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण* *लक्ष्य 6: सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना* *लक्ष्य 7: सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना* *लक्ष्य 8: सभी के लिये सम्माननीय रोजगार एवं आर्थिक विकास* *लक्ष्य 9: सुदृढ़ अधोसंरचना के निर्माण से समावेशी एवं सतत औद्योगीकरण व नवाचार को प्रोत्साहन* *लक्ष्य 10: असमानता कम करना* *लक्ष्य 11: शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं सहनशील तथा सतत बनाना* *लक्ष्य 12: स्थायी उपभोग और उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना* *लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना* *लक्ष्य 14: जलीय संसाधनों के संरक्षण से सतत विकास* *लक्ष्य 15: वन, वन्य–जीवन एवं जलीय निकायों का संरक्षण, पुनर्स्थापन तथा जमीनी पर्यावरणीय तंत्र का सतत उपयोग* *लक्ष्य 16: सतत् विकास और सबको न्याय की पहुँच देने तथा सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण करने के लिए शांतिपूर्ण एवं*

	समावेशी समाज को बढ़ावा देना *लक्ष्य 17: सतत् विकास हेतु कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना*
07:15-07:50	: **यूनीसेफ छत्तीसगढ़** *डॉ. के. डी. मैटी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, यूनीसेफ, नई दिल्ली* ● *सभी के लिये स्वस्थ्य जीवन* ● *गुणवत्तापूर्ण शिक्षा*
07:50-08:00	: **समापन टिप्पणी** *श्री टी. एस. सिंह देव, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग*
08:00	: **रात्रिभोज**

...

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

सतत् विकास लक्ष्यों पर संवेदीकरण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला

दिनांक : 07 फरवरी, 2019

बैठक स्थलः होटल बेबीलोन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड रायपुर

पंजीयन पत्रक

स.क्र.	सदस्यों का नाम	ई–मेल	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	माननीय मुख्यमंत्री			
2	श्री टी. एस. सिंहदेव			
3	श्री गुलाब सिंह कमरो, भरतपुर–सोनहट	Gulabkamro@gmail.com	9926117198 7049675333	
4	डॉ. विनय जायसवाल, मनेन्द्रगढ़	lgehraipur@gmail.com	9301088418	
5	श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, बैकुण्ठपर	ambicasd@yahoo.com	9831005359	
6	श्री विनय भगत, जशपुर	vinaybhagat46@gmail.com	9329441415	
7	श्री यू.डी. मिंज, कुनकुरी	udminj.mla.kunkuri@gmail.com	9303332200	
8	श्री चक्रधर सिंह सिदार, लैलूंगा	[illegible]	9753377747	
9	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, रायगढ़		9406157294	
10	श्रीमती उत्तरी जांगडे, सारंगगढ़	—	9754120746	
11	श्री पुरूषोत्तम कंवर, कटघोरा	P Kanwar..	9827918833	

स.क.	सदस्यों का नाम	ई–मेल	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
12	श्री मोहित राम केरकेट्टा, पाली तानाखार		9827180954	
13	श्री रश्मि आशीष सिंह, तखतपुर	rsinghadv@gmail.com	9425219000	
14	श्री शैलेष पाण्डेय, बिलासपुर	mlabilaspur@gmail.com	7898184986	
15	श्री रजनीश कुमार सिंह, बेलतरा	babasingh1967@Gmail.com	9993599579 79741-83740	
16	श्री रामकुमार यादव, चन्द्रपुर		9981715300	
17	श्रीमती इंदु बंजारे, पामगढ़		9893444173	
18	श्री किस्मत लाल नंद, सराईपाली	9406285466	7771024939	
19	श्री द्वारिकाधीश यादव, खल्लारी		7772924345	
20	श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, महासमुंद	chandrakarvinod047@gmail.com	9425203876	
21	श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, बिलाईगढ़	chandradevrai20@gmail.come	9827970691	9301225700
22	श्रीमती शकुंतला साहू, कसडोल		8959985390	
23	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, बलौदाबाजार		9826421198	
24	श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, धरसींवा		9424200122	
25	श्री विकास उपाध्याय, रायपुर पश्चिम		9827178910	
26	डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सिहावा	dhruwlakshmi24@gmail.com	9977833920	

स.क.	सदस्यों का नाम	ई–मेल	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
27	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, धमतरी		9179866671	
28	श्रीमती संगीता सिन्हा, संजारी बालोद		9425241633	
29	श्री कुंवर सिंह निषाद, गुण्डरदेही	Kunwersingh.2010@gmail.com	9977861910	[signature]
30	श्री देवेन्द्र यादव, भिलाई नगर		8959111115	
31	श्री आशीष कुमार छाबड़ा, बेमेतरा	Ashishchhabra.81@gmail.com	7898975297	[signature]
32	श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे, नवागढ़	gurudayalsing@gmail.com	9329714008	[signature]
33	श्रीमती ममता चन्द्रकार, पंडरिया	mamatachandrakar1511@gmail.com	9893637637	ममता चन्द्राकर
34	श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, डोंगरगढ़	bskbaghel2012@gmail.com	9406242724	[signature] 7/12/19.
35	श्रीमती छन्नी चन्दू साहू		9340689564	
36	श्री इन्द्रशाह मण्डावी, मोहला–मानपुर		9755978141	
37	श्री अनूप नाग, अंतागढ़		9425215176	[signature]
38	श्री शिशुपाल सोरी, कांकेर	sp.shori@gmail.com	~~9425515822~~ 7000159724	[signature]
39	श्री चंदन कश्यप, नारायणपुर		9424291978	[signature]
40	श्री रेखचंद जैन, जगदलपुर		9425258577	
41	श्री विक्रम शाह मण्डावी, बीजापुर	Vikarammandavi@gmail	9425565459 9424111105 – WhatsApp 6260937050	[signature]

स.क्र.	सदस्यों का नाम	ई–मेल	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
42	डॉ. के. डी. मैटी, यूनिसेफ, नई दिल्ली	kdmaiti@unicef.org		[signature]
43	श्री प्रदीप शर्मा, सलाहकार, मुख्यमंत्री	sewa.service@gmail.com	9993624741	[signature]
44	श्री राजेश तिवारी, सलाहकार, मुख्यमंत्री	tiwarikanker@gmail.com	9425259577	[signature]
45	DR Manish, WHO	srechhattisgarh@nprindia.org	7024153220	[signature]
46	Mr. Bal Paritosh Dash, UNICEF	BDASH@UNICEF.ORG	9711534580	[signature]
47	Jiboli Chatterjee	jchatterjee@unicef.org	9433016879	[signature]
48	PREETU MISHRA, UNICEF	pmishra@unicef.org	8750443300	[signature]
49	SHESHAGIRI K.M	smadhusudhan@unicef.org	9424200830	[signature]
50	श्री प्रशांत दास	pdas@unicef.org	9893599600	[signature]
51	सचिव, छ.ग.शासन, योजना, आ. सा. वि.		9479000969	[signature]
52	संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन यो.आ.सां.वि.	shikha21raj@gmail.com	9406230081	[signature]
53	मुदित कुमार सिंह - प्र.मु.व.सं	pccfcg.forest@gmail.com	0771-2512800	[signature] 6/2
54	जनसंपर्क (folder).			
55				
56				